

an>

Title: Introduction of the Constitution (One Hundred and Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019.

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत):** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.”

*The motion was adopted.*

**श्री थावर चंद गहलोत :** महोदया, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

-

-